सद्दे ज़रिया एक महत्त्वपूर्ण सिद्दान्त

इस्लामिक फ़िक्ह एकेडमी इण्डिया आधुनिक समस्याओं को चर्चा का विषय बनाने के साथ सैद्धान्तिक विषयों की भी चर्चा के अन्तर्गत लाती है। ताकि इनकी ऐसी पूरख या विश्लेषण हो जाये कि नये आने वाले समस्या पर इनको उचित रूप में लागू किया जा सके, एकेडमी ने अपने 29 वें फ़िक्ही सेमीनार आयोजित 23-24 सफर 1443 हिजरी दिनांक 1-2 अक्टूबर 2021 ई0 का एक विषय ''सद्दे ज़रिया'' भी रखा है। शोधकर्त्ता महोदय की विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव निर्धारित किये गयेः

1- ऐसे मामले जो अपने आप में उचित (मुबाह) हों लेकिन किसी भ्रष्टाचार का कारण बनते हों, उन्हें निषेध घोषित करने का नाम सद्दे ज़रिया है।

2- ''सद्दे ज़रिया'' शरीअत में मान्य है और शरीअत के बहुत से आदेश इस पर आधारित हैं।

3- जिन स्रोत का अवज्ञा के बिन्दु तक या प्रमुख की स्थिति में संक्रामक होने के लिए निश्चित है अवैध है, और इनके निषेध पर भी सहमति है।

4- ऐसे स्रोत जो हराम के बिन्दु तक संक्रामक है उन्हे प्रमुख नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन अधिक हो तो इस से बचा जाना चाहिए।

5- जिन स्रोत का बूराई तक संक्रामक होना कम हो वह शरीयत के अनुसार उचित (मुबाह) हैं।

6- वर्तमान समय के बहुत सी समस्याओं में ''सद्दे ज़रिया'' आधरभूत सिद्धान्त का आचरण अदा करता है, विद्वान और मुफ्तियों को चाहिए कि आज के वर्तमान समस्याओं में इस से काम लें, उदाहरण्तः

क- तवर्रुक़ मुनज्ज़म का उचित न होना।

ख- अश्लील दृश्य देखने के लिए एनड्राईड मोबाइल, डी0वी0डी0, वी0सी0आर0 और एल0सी0डी0 इत्यादि का उपयोग उचित न होना।

☆☆☆

नोटः 29वां फ़िक्ही सेमीनारए 23 से 24 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 1 से 2 अक्टूबर सन् 2021 ई0 अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद।